RESERVATION TO WOMEN OF OTHER STATES

85. Sh. Kuldeep Vats (Badli):-

Will the Chief Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that the women belonging to SCs and BCs of nearby States are not being given the benefit of reservation or any Government Schemes by the Government after getting married in Haryana whereas their different certificates like caste, residence, aadhar card and family ID are being issued by the State Government; if so, the reasons thereof; and
- b) whether there is any proposal under consideration of the Government to give the benefit of reservation to the abovesaid women togetherwith the details thereof?

REPLY

SHRI MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER, HARYANA

a) Sir, the women belonging to SCs and BCs of other states are not being given the benefit of reservation or any Government Scheme. The Welfare of Scheduled castes and Backward Classes Department, Haryana had issued instructions dated 13.09.1984 about verification of claim of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and migrants from State/Union Territories in which it has been clarified that the Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons on migaration from the state of his origin to another state will not lose his status as Scheduled Caste/Scheduled Tribes but he will be entitled to concessions/benefit admissible the the Scheduled Castes/Scheduled Tribes from the State of his origin and not from the state where he/she has migrated.

Further, General Administration Department, Haryana has also issued instructions/guidelines dated 22.03.2022 regarding issue of Caste Certificates through SARAL portal and para 3 (iii and iv) of these instructions provides as under:-

- (iii) Caste Certificate in cases of Migration.—
 Where a person migrates from one State to another, he can claim to belong to a notified caste only in relation to the State to which he originally belonged and not in respect of the State to which he has migrated.
- (iv) Caste Certificate to person who claims through marriage.
 No person who is not a member of a notified caste/tribe by
 birth will be deemed to be a member of that notified

caste/tribe merely because he or she had married a person belonging to that notified caste/tribe. On the other hand a person who is a member of a notified caste/tribe will continue to be a member of that notified caste/tribe even after his or her marriage with a person who does not belong to a notified caste/tribe.

Therefore, caste of a person, even after migration from one State to another State, does not change, nor it changes after marriage of a person to someone belonging to any other caste.

b) No, Sir.

अन्य राज्य की महिलाओं को आरक्षण

85 श्री कुलदीप वत्स (बादली): क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि हरियाणा के आस—पास के राज्यों की अनुसूचित जातियों / पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं को आरक्षण तथा हरियाणा में विवाह करने बाद किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि उनके नाम विभिन्न प्रमाण—पत्रों जैसेः जाति, निवास स्थान तथा परिवार पहचान पत्र में भी सरकार द्वारा सिमलित किए जा रहे हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, तथा

(ख) क्या उपरोक्त महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

मनोहर लाल, मुख्य मन्त्री, हरियाणा

(क) श्रीमान जी, अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण या किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ने दिनांक 13.09.1984 को अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों एवं राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रवासियों के दावों के सत्यापन के संबन्ध में निर्देश जारी किये थे, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने की स्थिति में उसकी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में अपना दर्जा नहीं खोयेगा, लेकिन वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अनुदेय रियायत/लाभ का हकदार अपने मूल राज्य में ही होगा न कि उस राज्य में जहां वह प्रवासित हुआ है। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग, हरियाणा ने भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में सरल पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित हिदायतों कमांक 22/132/2013—1जी0एस0ाा, दिनांक 22.03.2022 जारी की हैं और उन हिदायतों के पैरा 3 (iii और IV) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:—

(iii) प्रवास के मामलों में जाति प्रमाण पत्र:--

जहां कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसर राज्य में प्रवास करता है, वह केवल उस राज्य के संबंध में अधिसूचित जाति से सम्बधित होने का दावा कर सकता है, जहां से वह मूल रूप से संबंध रखता था तथा उस राज्य में नहीं जहां वह प्रवासित हुआ है।

(IV) विवाह के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र:--

कोई भी व्यक्ति, जो जन्म से अधिसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है, केवल इसिलए अधिसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने उस जाति/जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया था। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो एक अधिसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है, वह उसी अधिसूचित जाति/जनजाति का सदस्य बना रहेगा बेशक उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो कि अधिसूचित जाति/जनजाति से संबंध नहीं रखता है।

इसलिए, किसी व्यक्ति की जाति, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास के बाद भी नहीं बदलती है और न ही किसी व्यक्ति के किसी अन्य जाति के व्यक्ति से विवाह के बाद बदलती है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।